



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 37 / 16 निर्णय दिनांक:-13.06.2018
1. ताज मोहम्मद पुत्र बली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गजनेर तहसील कोलायत।

—अपीलांट

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोंडेन्ट

अपीलें विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 08-02-2016  
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थित:

1. श्री अनिल आचार्य, अभिभाषक अपीलांट  
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 08-02-2016 के विरुद्ध पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट्स का वाद रिकार्ड व कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि खसरा नम्बर 594/122/14/1 रकबा 4.85 हेक्टर वाके रोही गजनेर तहसील कोलायत में स्थित है। वादगत् भूमि पर अपीलांट्स बतौर टीनेन्ट लगभग 40 से 50 वर्षों से काबिज काश्त है। वादगत् भूमि लगातार अपीलांट्स के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा

अपीलांट द्वारा नियमानुसार वादगत् भूमि का लगान आदि भी अदा किया जा रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट्स का वादगत् भूमि पर मौके पर मकान आदि बने हुए है इस प्रकार अपीलांट्स के परिवार व पशुओं की जीविका का एकमात्र साधन वादगत् भूमि पर कृषि कार्य है तथा रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं है। वादगत् भूमि संवत् 2012 से पूर्व अपीलांट के कब्जे काश्त में रही है वादगत् भूमि के बाबत् अपीलांट्स को वर्ष 1986 से वर्ष 2014 तक अतिक्रमण व भू-राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये है। जिससे स्पष्ट है कि वादगत् भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने आगे बताया कि अपीलांट्स द्वारा वादगत् भूमि को काफी मेहनत व पैसा खर्च करके काबिल काश्त बनाया गया है। अपीलांट्स द्वारा रेस्पोजेन्ट्स को एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर संबंधित पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट्स को भूमिहीन तथा वादगत् भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त बताया गया है। अदालत मातहत के समक्ष उक्त तमाम तथ्य उपलब्ध होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादी/स्टेट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर अपीलांट्स/वादी का वाद खारिज कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में ना तो कोई बयान लिये गये ना ही कोई साक्ष्य व सबूत लिये गये। जबकि अपीलांट्स/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के बाबत् तमाम राजस्व रिकार्ड भी प्रस्तुत किये गये थे।

उन्होंने आगे बताया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर ना तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य ही ली गई। जबकि दावे जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण में नियमानुसार तनकीयात् कायम की जानी व साक्ष्य जी जानी अपरिहार्य है। अपीलांट्स द्वारा उक्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष दौराने बहस उठाये गये थे कि वे उनके समक्ष जैरकार प्रकरण में तनकीयात् कायम करते हुए व साक्ष्य लेते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। अदालत

मातहत द्वारा इन सबके बावजूद बिना रिकार्ड का अवलोकन किये व दावे के आवश्यक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए रिकार्ड क विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ होने के आधार पर खारिज किया गया है। जबकि अपने निर्णय में यह खुलासा नहीं किया गया है कि अपीलांट्स/वादीगण का वाद किस आधार पर बार्ड बाई लॉ है। इस प्रकार अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री अपूर्ण, तथ्यों के विपरीत व कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

अपीलांट वादगत् भूमि पर पिछले 40-50 वर्षों से अधिक समय से विधि सम्मत रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हुआ है तथा ना ही कभी उसे मौके से बेदखल किया गया है। इस प्रकार अपीलांट्स निरन्तर कब्जे काश्त अर्थात एडवर्स पजेशन के आधार पर भीवादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है। लेकिन अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाते हुए अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मियांद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा नहीं दिये जाने के कारण उसे नहीं हो पाई। अपीलांट सर्वप्रथम दिनांक 30-05-2016 को अपने वकील के पास गया और दावे के बारे में जानकारी चाही गई तक अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि तुम्हारा दावा तो काफी समय पहले ही निर्णित हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने सभी अपीलों में कॉमन बहस करते हुए बताया कि अपीलांट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरुद्ध जिसके द्वारा अपीलांट्स/वादी का वाद खारिज किया गया

है, प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा वादगत् भूमि के कब्जे काश्त के बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। अपीलांट्स वादगत् भूमि बतौर

अतिक्रमी काबिज है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट्स/वादीगण का वाद खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स अब इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपीलें खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188, 91 व 92ए के तहत दावा पेश किया। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08-02-2016 जिसके द्वारा अपीलांट/वादी का दावा अदालत मातहत द्वारा संधारण योग्य नहीं होने व बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज किया गया है के विरुद्ध अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अपीलांट्स का वादगत् भूमि पर विगत् 40-50 वर्षों से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादगत् भूमि के बाबत् निरन्तर लगान अदा किया जाता रहा है। अतः कब्जे काश्त के आधार पर अपीलांट्स वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित करवाने के अधिकारी है।

(3) हमने अदालत मातहत की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अपीलांट/वादी द्वारा वादगत् भूमि वाके रोही मोडिया माणसर, शरह मियानीमाणी पटवार हल्का गजनेर व वाके रोही गजनेर तहसील कोलातय विगत् 40-50

वर्षों से कब्जे काश्त के आधार पर खातेदार काश्तकार धोषित करवाने की इस्तदुआ की गई थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा बार्ड बार्ड लॉ व वाद करण डिस्क्लोज नहीं करने के आधार पर खारिज किया गया है।

(4) प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट्स/वादीगण द्वारा न तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर उनका विगत् 40-50 वर्षों से कब्जा काश्त रहा हो। अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में भू-राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 91 के तहत जारी नोटिस की छाया प्रतियाँ प्रस्तुत की गई है। जिससे स्वमेव साबित है कि अपीलांट्स वादगत् भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। ऐसी स्थिति में किसी भूमि पर लम्बे समय से काश्त किये जाने के आधार पर उन्हें खातेदारी अधिकार हासिल नहीं हो सकते है। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि वादपत्र के संधारण हेतु वाद कारण का डिस्क्लोज करना प्रथम व आवश्यक शर्त कानून में होती है। वादी के कोई अधिकार वादग्रस्त भूमि पर नहीं है। अपीलांट्स/वादीगण द्वारा स्वयं ने अपना स्टेटस वादगत् भूमि पर अतिक्रमी ही बताया गया है।

(5) जहाँ तक प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट्स का यह कथन कि अदालत मातहत द्वारा वाद प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। उनका कथन है कि अदालत मातहत द्वारा स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे व वादपत्र के आधार पर तनकीयात् कायम नहीं की गई ना ही प्रकरण में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य आदि ली गई है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि जब प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट्स वादगत् भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज काश्त है व एक अतिक्रमी कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार हासिल करने का अधिकारी नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की उक्त आपत्ति का विधिक रूप से कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अपीलांट्स द्वारा न तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त साबित हो। जब अपीलांट/वादी को बिना दस्तावेजी साक्ष्यों व कब्जे काश्त के अभाव में व एक अतिक्रमी की हैसियत से वाद प्रस्तुत करने का कॉज ऑफ एक्शन ही हासिल नहीं है ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपीलें खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08-02-2016 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर